उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-4

संख्या :212/2019/1202/35-4-2019

दिनांक : लखनऊ : 25 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक (ई0एस0), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-P-11012/5/2018/ESD दिनांक 07.03.2019 के क्रम में सातवीं आर्थिक गणना की गतिविधियों एवं क्रियान्वयन के समग्र समन्वय हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके इंगित कार्यक्षेत्र के लिये चार्ज अधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी	कार्यक्षेत्र
1	अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2	जिलाधिकारी	सम्बन्धित जनपद

2- जनपद स्तर पर क्षेत्रीय कार्य पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी को सम्बन्धित जनपद के अनन्तिम परिणाम जारी करने के लिये भी अधिकृत किया जाता है।

अनूप चन्द्र पाण्डेय

मुख्य सचिव।

पत्रांक :212/2019/1202(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0।

8- समस्त अपर जिला अधिकारी (प्र0/वि0रा0), उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- उप महानिदेशक, NSSO (FOD) लखनऊ ।

10- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।

11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

12- समस्त सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।

13- समस्त जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0।

14- समस्त जिला सूचना अधिकारी, उ0प्र0।

15- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।

16- समस्त अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, उ0प्र0।

17- समस्त जिला समन्वयक, सामान्य सेवा केन्द्र, उ0प्र0।

18- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), उ0प्र0।

19- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।